**न्यायालयः-अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड, जिला झालावाड़ (राज.)**

पीठासीन न्यायाधीश – **नरेन्द्र मीणा, आर.जे.एस.** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**सेशन प्रकरण संख्याः- 188/2023**

C.I.S. 158/2022

RJJW010026432022

राजस्थान राज्य

**-अभियोगी**

**बनाम**

1-ओम प्रकाश पुत्र रामलाल, उम्र 31 साल, निवासी बगदर, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

2. घनश्याम पुत्र रामलाल, उम्र 36 साल, निवासी बगदर, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

**–अभियुक्तगण**

अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 324, 324 सपठित धारा 34, 308, 308 सपठित धारा 34** भा.दं.सं.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **386/2021** पुलिस थाना **झालरापाटन)**

**उपस्थितः-**

1- श्री विनोद कुमार गोचर, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

2- श्री घनश्यामलाल, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

**निर्णय** **दिनांक - 12.03.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 24.11.2021 को परिवादी विश्वेन्द्रसिंह पुत्र गजराजसिंह, निवासी बगदर थाना झालरापाटन ने पुलिस थाना झालरापाटन में पदस्थापित गोतमचन्द एच.सी. नंबर 1053 के समक्ष SRGH झालावाड़ में भर्ती रहते हुए ने एक पर्चा बयान प्रदर्श पी. 09 इस आशय का दिया कि वह ग्राम बगदर का रहने वाला है।

आज दिनांक 24.11.21 को शाम 5.30 बजे करीब वह उसके घर के बाहर बैठा था। उसके घर के सामने सूनी गाये बैठी थी, तब वहां पर ओम प्रकाश पुत्र रामलाल उन गायों को लेने के लिए आया तो उसने उससे कहा कि यह गाये बैठी है इनको परेशान मत कर जिस पर ओम प्रकाश उसके साथ गाली गलीच करने लगा गया तब उसने उसको जाने दिया। वह बिना गायो के ही उसके घर पर चला गया। वह वही बैठा था तब करीब 10 मिनट बाद ओम प्रकाश उसके साथ घनश्याम, छोटू, इनकी माँ लछमा एक राय होकर हाथ में तलवार व लटठ लेकर आये। उस समय वह उसके भाई जयदीप से बात कर रहा था तब उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। ओम प्रकाश व घनश्याम के पास तलवार थी। ओम प्रकाश ने तलवार की उसके सिर से मारी तो एकदम टेडा हो गया जिससे उसके बाये कान के ऊपर चोट लगी व घनश्याम ने तलवार से उसके हाथ में मारी जिसको उसने हाथ से पकड़ लिया। छोटू व इनकी मां लछमा ने लकडियों से उसके साथ मारपीट की। इतने में उसके भाई जयदीप सिंह व दिगपाल सिंह आ गये तब उसको छोड़कर भाग गये। वह नहीं आते तो ज्यादा मारपीट करते। जयदीपसिंह व दिग्पालसिंह उसको इलाज हेतु झालावाड अस्पताल लाये। जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इत्यादि। इस पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना **झालरापाटन** में प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर **386/2021** धारा 341, 323, 308 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में दर्जकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त ओम प्रकाश के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 308 सपठित धारा 34 भा.द.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त घनश्याम के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 308 सपठित धारा34 भा.द.सं. के अपराध के विचारण हेतु दिनांक

27.09.2022 को आरोप-पत्र अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अपराध धारा 308 भा.द.सं. अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के न्यायालय में अन्तरित किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. दिनांक 25.08.2023 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 324 सपठित धारा 34, 308, 308 सपठित धारा 34 भा.द.सं.के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्तगण ने आरोप को सुन-समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के आदेशानुसार यह प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर दिनांक 25.08.2023 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

**4. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

| क्र.सं. | साक्षी क्रम | साक्षी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | पी.डबल्यू. 01 | नरेन्द्र कुमार |
| 2 | पी.डबल्यू. 02 | जयदीप सिंह |
| 3 | पी.डबल्यू. 03 | विश्वेन्द्र सिंह |
| 4 | पी.डबल्यू. 04 | पप्पूलाल |
| 5 | पी.डबल्यू 05 | रतनलाल |
| 6 | पी.डबल्यू 06 | दिग्पाल सिंह |
| 7 | पी.डबल्यू 07 | डॉ. अंकुश माहेश्वरी |
| 8 | पी.डबल्यू 08 | सुरेश कुमार |
| 9 | पी.डबल्यू 09 | गौतम चन्द |
| 10 | पी.डबल्यू 10 | राम कुंवार |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | पी.डबल्यू 11 | डॉ. हरि ओम गौतम |
| 12 | पी.डबल्यू 12 | डॉ. शैलेन्द्र यादव |
| 13 | पी.डबल्यू 13 | महेन्द्र कुमार |
| 14 | पी.डबल्यू 14 | प्रीतम सिंह |

5. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य**

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श पी** | **नाम दस्तावेजात** |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी- 01 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त ओम प्रकाश |
| 2 | प्रदर्श पी- 02 | फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त घनश्याम |
| 3 | प्रदर्श पी- 03 | फर्द बरामदगी तलवार |
| 4 | प्रदर्श पी-04 | नक्शा मौका फर्द बरामदगीस्थल |
| 5 | प्रदर्श पी-05 | फर्द बरामदगी लकडी |
| 6 | प्रदर्श पी- 06 | नक्शा मौका फर्द बरामदगीस्थल |
| 7 | प्रदर्श पी- 07 | नक्शामौका |
| 8 | प्रदर्श पी- 08 | फर्द जप्ती टी-शर्ट आहत विश्वेन्द्र सिंह |
| 9 | प्रदर्श पी-09 | पर्चा बयान विश्वेन्द्र सिंह |
| 10 | प्रदर्श पी- 10 | फोटोग्राफ |
| 11 | प्रदर्श पी- 11 | फोटोग्राफ |
| 12 | प्रदर्श पी- 12 | फोटोग्राफ |
| 13 | प्रदर्श पी- 13 | फोटोग्राफ |
| 14 | प्रदर्श पी-14 | पुलिस बयान पप्पू लाल |
| 15 | प्रदर्श पी- 15 | एक्स-रे फार्म |
| 16 | प्रदर्श पी- 16 | एक्स-रे प्लेट |
| 17 | प्रदर्श पी- 17 | थानाधिकारी का अग्रेषण-पत्र |
| 18 | प्रदर्श पी- 18 | एस.पी. का अग्रेषण-पत्र |
| 19 | प्रदर्श पी-19 | एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद |
| 20 | प्रदर्श पी- 20 | चाकशुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 21 | प्रदर्श पी-21 ए | मालखाना रजिस्टर की प्रति |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | प्रदर्श पी-22 | तहरीर बाबत मेडिकल करवाने |
| 23 | प्रदर्श पी-23 | चोट प्रतिवेदन आहत विश्वेन्द्र सिंह |
| 24 | प्रदर्श पी-24 | अभियुक्त ओम प्रकाश की सूचना |
| 25 | प्रदर्श पी-25 | अभियुक्त घनश्याम की सूचना |

6. साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. किया गया, अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में सफाई-सबूत पेश न करना व्यक्त किए जाने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गयी। दौरान साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पुलिस बयान जयदीप सिंह व विश्वेन्द्र सिंह प्रदर्श डी.1 व 2 प्रदर्शित कराए गए।

7. बहस अन्तिम सुनी गयी।

8. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण का तर्क यह रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की कहानी प्रथम दृष्टया ही झूंठी है। यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। परिवादी एवं महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उनपर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

10. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

> **" क्या अभियुक्त ओमप्रकाश ने दिनांक 24.11.2021 को 17.30 बजे से 17.40 बजे के मध्य ग्राम बगदर झालरापाटन में आहत विश्वेन्द्र सिंह को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से मारपीट की, जिसमें उसने आहत के सिर में तलवार की इस ज्ञान के साथ मारी कि इससे आहत को ऐसी उपहति कारित हो सकती थी जिससे उसकी मृत्यु होना संभव था जिसमें अभियुक्त घनश्याम ने सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त ओमप्रकाश का सहयोग किया, अभियुक्तगण ने परिवादी/आहत विश्वेन्द्र सिंह के साथ मारपीट करने के लिए सदोष अवरोध कारित किया, अभियुक्तगण ने आहत विश्वेन्द्र सिंह के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, अभियुक्त ओमप्रकाश ने आहत विश्वेन्द्र सिंह के साथ तलवार से उसके सिर में मारपीट कर चोटें कारित कर साधारण उपहति कारित की जिसमें अभियुक्त घनश्याम ने सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त ओमप्रकाश का सहयोग किया ?**

12. समस्त तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करने के उपरांत तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के गहन अवलोकन, विश्लेषण एवं विवेचन से यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के समर्थन में कुल 14 गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए हैं।

13. गवाह **पी.ड.1 नरेन्द्र** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.12.2021 को थाना झालरापाटन में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थाने के प्रकरण सं. 386/21 धारा 341, 323, 324, 308, 34 भा.द.सं. मुलजिमान ओम प्रकाश व घनश्याम को अनुसंधान अधिकारी प्रीतम सिंह

एच.सी. द्वारा उसके व महेन्द्र कुमार मीणा कानि. के समक्ष गिरफ्तार कर, फर्द गिरफ्तारी क्रमश प्रदर्श पी 1 व पी 2 बनायी गयी थी। दिनांक 14.12.2021 को मुलजिम ओम प्रकाश द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण मे उसकी निशादेही से उसके गांव बगदर में स्थित रिहायशी मकान के कमरे में रखे बक्से के नीचे रखी लोहे की एक तलवार अनुसंधान अधिकारी ने बरामद की, जिसे बतौर वजह सबूत एक कपडे की सफेद थैली में रखकर सील्ड मोहर किया तथा मार्क बी दिया। फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी 3 है, जिसकी बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 4 है। मुलजिम घनश्याम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में उसकी निशादेही से अनुसंधान अधिकारी ने गांव बगदर स्थित उक्त मुलजिम के रिहायशी मकान के कमरे में रखा एक लट्ठ बरामद किया, जिसे भी बतौर वजह सबूत कपडे की थैली में सील्ड मौहर कर मार्क सी दिया। फर्द जप्ती लाठी प्रदर्श पी 5 है, जिसकी बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह सही है कि उक्त दोनो मुलजिमान को थाना परिसर पर ही गिरफ्तार किया था। यह सही है कि दोनों बरामदगी स्थल वाले मकान तालाबंद नहीं होकर खुले हुये थे, जिनमें परिवार के अन्य व्यक्तियों की भी रिहायश थी। यह सही है कि उक्त दोनों मकानात सघन आबादी में थे, जिनके आस पास अन्य मकानों की भी रिहायश थी। यह सही है कि दोनों बरामदगी की कार्यवाहियों में सभी गवाह पुलिसकर्मी ही है। उसे ध्यान नहीं है कि मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह को बुलाया गया या नहीं। यह सही है कि बरामदगी स्थल तक उस घर में रहने वाले अन्य सभी व्यक्तियों की पहुंच सरल व संभव थी। उसे ध्यान नहीं है कि मुलजिम घनश्याम के मकान के कमरे में किस स्थान पर रखी हुयी लाठी बरामद की

थी। यह सही है कि बरामदगी स्थल वाले मकान राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, जिनके पास आगनबाडी केन्द्र व विद्यालय भी है। यह कहना गलत है कि मौके पर पायी गयी तलवार का नाप नहीं किया हो। अजखुद कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं किया था। आज उसे ध्यान नहीं कि अनुसंधान अधिकारी ने तलवार को पैमाने से नापा था या फीते से। आज उसे यह भी ध्यान नहीं है कि मौके पर पैमाना या फीता किससे मंगवाया या कौन लेकर आया। यह सही है कि बरामदशुदा लकडी के समान लकडियां आम तौर पर सभी ग्रामीण घरों में पायी जाती है। कमरे के पश्चिम उत्तर कौने में रखे बक्से के नीचे से तलवार बरामद हुयी थी। यह सही है कि उसे उस कमरे तथा बक्से की लम्बाई व चौडाई ध्यान नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि उक्त बक्सा लकडी का था या लोहे का था। उसे ध्यान नहीं है कि उक्त बक्सा जमीन पर टिकाकर रखा हुआ था या चौपाये स्टेण्ड पर। यह कहना सही है कि जप्तशुदा माल आज उसके समक्ष न्यायालय में नहीं है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना गलत है कि उसके सामने मुलजिमान से कोई बरामदगी नहीं हुयी हो। यह कहना गलत है कि फरियादी विश्वेन्द्र द्वारा दी गयी तलवार को मुलजिम से गलत बरामद दिखाया हो। यह कहना गलत है कि उसने उक्त फर्दात पर उच्चाधिकारियों के कहने से थाने में बैठकर हस्ताक्षर किये हो।

14. **पी.ड.2 जयदीप सिंह** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब एक साल पूर्व शाम को 6 बजे ग्राम बागदर में उसके कुए से भैसे लेकर घर पर आया था तथा भैसे बांध रहा था। तभी उसके पास विश्वेन्द्र सिंह का फोन आया तो उसने उसका फोन उठाया तब उसने कहा कि घनश्याम और ओम प्रकाश उसे मार रहे है, जिस पर वह तुरंत विश्वेन्द्र सिंह के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि

पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था तथा विश्वेन्द्र का कान कटा हुआ था जिससे उसका खून बह रहा था और घनश्याम ने विश्वेन्द्र के दोनों हाथ पकड रखे थे। घनश्याम की माँ लक्ष्माबाई उन्हे डंडे से मार रही थी जो उसके पहुचते ही इधर उधर भागे। उसने लक्ष्माबाई का लट्ठ पकडा तो वह उसे भी मारने लगी और ये लोग कहने लगे कि इसे भी जान से मार दो। उसके बाद सभी लोग विश्वेन्द्र के साथ मारपीट कर वहाँ से भाग गये। इसके बाद उसने उसके छोटे भाई दिगपाल सिंह को फोन लगाया तो वह गाडी लेकर मौके पर पहुंचा, जिसकी गाडी अल्टो में विश्वेन्द्र को डालकर झालावाड सरकारी अस्पताल लेकर आये, जहाँ उसका इलाज चला। पुलिस ने अस्पताल में ही विश्वेन्द्र के बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 7 है। पुलिस ने मजरूब के वक्त घटना पहनी हुयी खून आलूदा टी शर्ट बतौर वजह सबूत जप्त की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 8 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि इस घटना से पूर्व विश्वेन्द्र व मुलजिमान के मध्य कोई झगडा नहीं था। यह कहना गलत है कि वक्त घटना दोनो पक्ष किस बात पर लडे, इस बात का उसे ध्यान नहीं हो। अजखुद कहा कि विश्वेन्द्र के घर के बाहर सूनी गाय बैठी हुयी थी, जिसे ओम प्रकाश लाठी मारकर उठा रहा था, जिससे विश्वेन्द्र के मना करने पर यह झगडा हुआ था। उसे ध्यान नहीं है कि मुलजिमान गांव की सूनी/लावारिस गायो को नुकसान से बचने के लिये पकडकर बाडे में बंद करते हो। यह सही है कि घटना के समय खेतो में फसले खडी थी। यह सही है कि लावारिस गाय से फसलो को नुकसान पहुंचता है। यह सही है कि आम तौर पर गॉव में लावारिस गायो को गॉव वाले नुकसान से बचने के लिये पकडकर बाडे में बंद कर देते है। यह सही है कि

उसके पास विश्वेन्द्र ने घटना के बाद फोन किया था, जिससे पहले ही घटना हो चूकी थी। यह सही है कि उसे मजरूब जमीन पर घायल पडा मिला था। यह सही है कि मौके पर पूरा मोहल्ला मौजूद था, करीब 20-25 लोग थे। यह कहना गलत है कि मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया हो। उसे ध्यान नहीं है कि विश्वेन्द्र को मोहल्ले वालों ने ही छुडाया हो। यह सही है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुयी। उसके मौके पर पहुंचने से पहले ही मारपीट हो चुकी थी। यह सही है कि पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उसका घर मजरूब के घर से करीब 100 फीट दूरी पर है। यह सही है कि जोर से चिल्लाने पर मजरूब के घर से उसके घर तक आवाजें सुनायी देती है। यह सही है कि उसे घटना के समय उसके घर पर मारो या बचाओ की कोई आवाजे सुनायी नहीं दी। यह सही है कि उसे विश्वेन्द्र के फोन करने पर ही घटना के बारे में मालूम हुआ। यह कहना गलत है कि उसने पुलिस को मजरूब द्वारा फोन पर घटना के बारे में बताने व उसे बुलाने की बात नहीं लिखायी हो। पुलिस ने उसके बयान प्रदर्श डी 1 में यह बात क्यों नहीं लिखी, उसे ध्यान नहीं है। उसने पुलिस को उसके मौके पर पहुंचने से पूर्व मारपीट हो जाना तथा मजरूब का घायल जमीन पर पडा होना लिखवाया था। यह कहना गलत है कि दोनो पक्षो में घटना से पूर्व ही बोल चाल बंद हो। यह सही है कि घटना में प्रयुक्त तलवार उसने ही पुलिस को सुपुर्द की थी, जिसे पुलिस ने जप्त किया था। यह सही है कि मजरूब उसका छोटा भाई है। यह कहना सही है कि दिगपाल वक्त घटना गांव में नहीं था, वह गांव भंवरासा गया हुआ था, जो घटनास्थल से करीब 4-5 किमी दूर है। उसने दिगपाल को फोन कर भंवरासा से बुलाने वाली बात पुलिस को बता दी थी, जो उसके बयान प्रदर्श डी 1 मे पुलिस ने नहीं लिखी हो, तो उसे ध्यान नहीं है।

पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग ''मुझे घर के ......... आकर देखा'' तथा सी से डी भाग '' लडाई झगडे....... आ गया।'' सुनकर कहा कि गलत है, उसने पुलिस को नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि मजरूब के शरीर से बहा खून उनकी कार में कही गिरा हो। अजखुद कहा कि विश्वेन्द्र के काम चलाऊ पट्‌टी बांध दी थी। मौके पर खून गिरा हो, तो उसे ध्यान नहीं है। यह सही है कि उनकी बांधी पट्‌टी पुलिस ने जप्त की, जो अस्पताल में ही खोलकर फेंक दी थी। उसने मुलजिमान द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने वाली बात पुलिस को बता दी थी, जो उसके बयान प्रदर्श डी 1 में नहीं लिखी हो, तो उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि वह मजरूब का सगा भाई होने से रंजिशवश मुलजिमान के खिलाफ आज झूठे बयान दे रहा हो।

15. **पी.ड.3 विश्वेन्द्र सिंह** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब एक साल पूर्व शाम को 6 बजे वह उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। वहॉ पर ओम प्रकाश आया वह उसके घर के बाहर बैठी गायों को हटा रहा था तो उसने कहा कि इनको क्यों हटा रहा है, इसी बात को लेकर वह उससे गाली गलौच करने लगा। फिर वह आकर उसके साथ डंडे से मारपीट करने लगा। उसके बाद घनश्याम, ओम प्रकाश, छोटू, अमरीबाई तलवार और लट्‌ठ लेकर आये और उसके साथ तलवार, लट्‌ठ से मारपीट की। उसके कान पर चोट आयी थी। उसका कान कट गया था। फिर उसने उसके भाई जयदीप सिंह को फोन लगया, जिस पर जयदीप आया उसे अस्पताल ले गया। तलवार की उसके ओम प्रकाश ने मारी थी। इन दोनो तीनो भाईयों के हाथ में तलवारें थी। पुलिस ने उसके पर्चा बयान लिये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी-09 है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का

नक्शा मौका बनाया था। पुलिस ने उसकी एक खून आलूदा टी शर्ट जप्त की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 8 है। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ लिये थे। फोटोग्राफ प्रदर्श पी 10, पी 11, पी 12 व पी 13 है। पुलिस ने उसके शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल करवाया था। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह सही है कि इस घटना से पूर्व उसका व मुलजिमान का कोई विवाद नहीं था। वह काश्तकार है। यह सही है कि घटना के समय खेतो में फसलें बोयी जा चुकी थी। यह सही है कि आम तौर पर गाव वाले गाव की लावारिस गायो को नुकसान से बचने के लिये बाडे में बंद कर देते है। यह सही है कि घटना के समय उसके घर के बाहर भी लावारिस गाय बैठी थी। यह सही है कि अभियुक्तगण उक्त लावारिस गायो को ही ले जाकर बाडे में बंद करना चाह रहे थे। यह सही है कि मुलजिमान का घर मैन रोड पर है तथा उसका घर गांव में अंदर है। यह सही है कि मुलजिमान द्वारा लावारिस गायो को ले जाने की बात पर ही विवाद हुआ था। यह सही है कि घटना के समय उसका भाई जयदीप या अन्य कोई परिवारजन उसके साथ नहीं था। वह घर पर अकेला था तथा सभी लोग शादी में दूसरे गांव गये हुये थे। जिस समय उसने जयदीप को फेान किया, उस समय वह उसके खेत कुंए से लौट रहा था। यह सही है कि जयदीप के आने से पहले उसके साथ झगडा हो चुका था। यह सही है कि घटनास्थल पर काफी खून गिरा था। उसे जिस कार से अस्पताल ले गये थे, उस कार में भी खून गिरा था। घटना के बाद पुलिस उसे सबसे पहले झालावाड अस्पताल में मिली थी जो करीब आधा घण्टा बाद आ गयी थी। उसने उसके साथ शुरूआत में डंडे से मारपीट करने वाली बात उसके पर्चा बयान व पुलिस बयान में लिखवायी थी जो पुलिस ने उसके बयानों में नहीं लिखी हो, तो उसे ध्यान

नहीं है। यह सही है कि घटना के दौरान उसकी जयदीप सिंह से बात नहीं हो रही थी। अजखुद कहा कि घटना के बाद फोन किया था। उसने पुलिस को मुलजिम ओम प्रकाश, घनश्याम व छोटू तीनो के हाथ में तलवार होना बताया था, पुलिस ने नहीं लिखा हो, तो उसे ध्यान नहीं है। यह सही है कि जयदीप के मौके पर आने से पूर्व पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। यह सही है कि जयदीप के आने से पूर्व मोहल्ले वालों ने ही उसका मुलजिमान से बीच बचाव करवा दिया था। यह सही है कि जयदीप के मौके पर पहुंचने से पहले ही मुलजिमान मौके से भाग चुके थे। अजखुद कहा कि जयदीप को केवल मुलजिम घनश्याम मौके पर मिला था, जिसे भी जयदीप ने मौके से भागते हुये ही देखा था। यह सही है कि मुलजिम घनश्याम घटना के समय हमारा खेत पांती पर जोतता था। यह सही है कि घनश्याम का परिवार उनके यहॉ कई वर्षो से पांतीदार है। यह सही है कि घटना के समय मुलजिम घनश्याम का पांती बाबत हिसाब किताब बाकी था। यह सही है कि घटना के समय मुलजिम घनश्याम को उनसे करीब 60-70 हजार रूपये लेना बाकी था। यह कहना गलत है कि वह शराब पीता है। यह कहना गलत है कि वह नशे शराब में खुद अपने हाथ में पकडी तलवार से ही गिर पडकर चोटग्रस्त हुआ हों। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम घनश्याम की बाकी रकम हडपने की गरज से यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। पुलिस ने अगले दिन मौका मुआयना किया था, तब मौके पर खून गिरा हुआ था जो पुलिस ने देखा था। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 उसे पढकर नहीं सुनाया। मुलजिमान ने घटना के समय उसके साथ दो बार मारपीट की थी। मुलजिमान ने पहली बार उसे लाठियो से मारा था, जिसके करीब 10 मिनट बाद वापस मौके पर तलवारों से

लैस होकर आये तथा तलवारों से मारपीट की। उसने पुलिस को उसके साथ मुलजिमान द्वारा दो बार मारपीट किया जाना लिखवाया था, पुलिस ने उसके बयान ने ऐसा नहीं लिखा हो, तो उसे ध्यान नहीं है। यह सही है कि जयदीप स्वयं मौके पर नहीं आया था, जिसे उसने फोन कर बुलाया था। यह बात भी पुलिस को बता दी थी जो उसके बयान प्रदर्श डी 2 में नहीं लिखी हो तो उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि वह मुलजिम की रकम हडपने की गरज से आज झूठे बयान दे रहा हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमान ने उसके साथ कोई मारपीट नही की।

16. **पी.ड.4 पप्पूलाल** पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह ग्राम बगदर का रहवासी है तथा खान में मजदूरी का काम करता है। करीब ढाई वर्ष पूर्व शाम के समय गांव में विश्वेन्द्र तथा ओम प्रकाश एवं घनश्याम के बीच गायों की बात को लेकर आपस में लडाई झगडा हुआ था। उस समय वह गांव में नहीं था तथा काम से झालरापाटन आया हुआ था। देर रात गांव पहुंचने पर दोनों के बीच लडाई झगडे की बात सुनी थी। इसके अलावा उसे और कुछ ध्यान नहीं है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 14 का ए से बी भाग ''मैं गांव में............मौके पर देखा था। सुनकर कहा कि गलत है। उसने ऐसा पुलिस को नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि वक्त घटना वह गांव में हो तथा झगडे की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा हो। यह कहना गलत है कि उसने दोनों पक्षो के बीच लडाई झगडा होते देखा हो। यह कहना गलत है कि उसने ओम प्रकाश के हाथ में तलवार तथा घनश्याम के हाथ में लाठी देखी हो। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिमान की मॉ लछमा को बीच बचाव करवाते तथा विश्वेन्द्र के कान से

खून निकलते देखा हो। यह कहना सही है कि मुलजिम ओम प्रकाश व घनश्याम उसके अच्छे परिचित है। अजखुद कहा कि विश्वेन्द्र भी उसकी जान पहचान का है। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान का व्यवहारी होने के कारण, उन्हें बचाने की गरज से आज झूठे बयान दे रहा हो।

17. **पी.ड.5 रतनलाल** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह ग्राम खैरासी का रहवासी है तथा सुरेश की खान पर मुन्शी का कार्य करता है, जहॉ उसके साथ छोटू निवासी बगदर भी ट्रेक्टर चालक की नौकरी करता है। करीब ढाई साल पहले वह और छोटू उसकी मारूति वैन ठीक कराने झालरापाटन आये थे, जिसके बाद किसी कार्य से झालावाड गये थे। इसके बाद उसी दिन शाम को छोटू ने उसे पुराना टॉल नाका पर छोड दिया तथा वह अपने घर एवं छोटू उसके गांव चला गया। अगले दिन सुबह मिलने पर छोटू ने उसे बताया था कि उसके भाई ओम प्रकाश व घनश्याम का विश्वेन्द्र से लडाई झगडा हो गया है। इसके अलावा उसे और कुछ भी ध्यान नहीं है।

18. **पी.ड.6 दिग्पाल सिंह** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब सवा दो-ढाई साल पूर्व शाम के समय वह ग्राम बगदर स्थित उसके घर पर था। उस समय उसका भाई विश्वेन्द्र उनके घर के बाहर चबूतरे पर बैठा हुआ था कि अचानक उसे उनके घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनायी दी, जिस पर उसने बाहर जाकर देखा तो पाया कि अभियुक्त ओम प्रकाश हाथ में तलवार व मुलजिम घनश्याम लाठी लिये उसके भाई विश्वेन्द्र के साथ लडाई झगडा कर रहे थे। मुलजिम घनश्याम ने उसके भाई को पीछे से बाथ भरकर पकड रखा था तथा मुलजिम ओम प्रकाश ने जान से मारने की नियत से विश्वेन्द्र के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु विश्वेन्द्र द्वारा उसका सिर टेढा कर लेने के

कारण तलवार से उसका बायॉ कान कट गया और उसके कान से खून बह निकला। मौके पर मुलजिमान की मॉ लछमा व उनका भाई छोटू भी था, जो दोनो भी विश्वेन्द्र के साथ लात घूसों से मारपीट कर रहे थे। मुलजिम घनश्याम ने भी लाठी से विश्वेन्द्र के बाये हाथ पर चोट मारी थी। मौके पर उनके पडौसी बलवंत सिंह, तंवर सिंह, कालू सिंह, नंद सिंह तथा अन्य कई व्यक्ति इकट्ठा थे। मौके पर हल्ला सुनकर उसकी भाई जयदीप भी घर से बाहर मौके पर आ गया। उसने उसके जयदीप व पडौसियों ने विश्वेन्द्र का बीच बचाव करवाया, तब मुलजिमान मौके से भाग गये और वे विश्वेन्द्र को इलाज के लिये झालावाड अस्पताल लाये, जहॉ उसका इलाज चला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर, नक्शा मौका प्रदर्श पी-07 बनाया था। पुलिस ने वक्त घटना विश्वेन्द्र की पहनी हुयी खून आलूदा टी शर्ट बतौर वजह सबूत जप्त की थी। फर्द जप्ती टी शर्ट प्रदर्श पी-08 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि मुलजिमान का उसके भाई से पहले से कोई लडाई झगडा नहीं था। अजखुद कहा कि उसके भाई की मुलजिमान से कोरोना काल में बहस हुयी थी। यह सही है कि मुलजिम घनश्याम ने उनकी जमीन पॉती पर ले रखी थी। यह सही है कि घटना के समय उनके खेत में फसल थी जो लगभग 15 दिन की हो चुकी थी। यह सही है कि मुलजिमान गांव की लावारिस गायो को फसल के नुकसान से बचने के लिये बाडे में बंद कर देते थे। यह सही है कि घटना के समय उनके घर के बाहर लावारिस गाय बैठी हुयी थी। यह सही है कि उन लावारिस गायों को खदेडने की बात पर ही विवाद हुआ था। यह सही है कि घटना के समय मौके पर करीब 25 लोग एकत्रित हो गये थे। वह भंवरासा रहता है। अजखुद कहा कि उनके घर ग्राम बगदर एवं भंवरासा दोनो जगह है।

दोनों गांव के बीच करीब 3.5 किमी की दूरी है। यह कहना गलत है कि उसके घर से बाहर निकलने से पूर्व ही मौके पर लडाई झगडा खत्म हो चुका हो। यह सही है कि मुलजिमान से तलवार एवं लाठी उन्होंने ही छुडायी थी। यह कहना गलत है कि विश्वेन्द्र को मोटरसाईकिल से अस्पताल लाये हो। अजखुद कहा कि कार से लाये थे। यह सही है कि मौके एवं कार में खून बिखरा था। उसने कार में लगा खून पुलिस को नहीं बताया। अजखुद कहा कि पुलिस ने उनसे कार में लगे खून के बारे में पूछा ही नहीं। यह कहना गलत है कि उसके कपडों पर मजरूब का खून लगा हो। अजखुद कहा कि उसके भाई जयदीप ने मजरूब को उठाया था, जिसके कपडों पर खून लगा होगा। यह सही है कि वे गांव के भीतर तथा मुलजिमान गांव के बाहर हाईवे पर रहते है। यह कहना गलत है कि विश्वेन्द्र शराब पीता हो। यह कहना गलत है कि विश्वेन्द्र स्वयं तलवार लेकर मुलजिमान को मारने घर से बाहर आया हो। यह कहना गलत है कि वह घटना के समय ग्राम भंवरासा से बगदर पहुंचा हो। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुयी हो। यह कहना गलत है कि विश्वेन्द्र उसके भाई होने तथा उसका मुलजिमान से पुराना विवाद होने के कारण वह आज झूठे बयान दे रहा हो। यह कहना गलत है कि वक्त घटना वह ग्राम बगदर में न होकर, अन्यत्र किसी विवाह समारोह में मौजूद रहा हो। यह सही है कि मुलजिमान ने एक ही बार उनके घर के बाहर घटना को अंजाम दिया था। यह कहना गलत है कि विश्वेन्द्र उसके भाई होने से वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

19. **पी.ड.7 डॉ. अंकुश माहेश्वरी** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.11.2021 को वह एस.आर.जी.एच. में मेडिकल आफिसर के पद पर कार्यरत

था। उस दिन उसने डॉ. शैलेन्द्र यादव के प्रतिवेदन पर मजरूब विश्वेन्द्र सिंह के स्कल का एक्स रे रिपोर्ट किया था। बाद एक्स रे मजरूब के कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया। एक्स फार्म प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी उसकी राय है। एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 16 है।

20. **पी.ड.8 सुरेश कुमार** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 30/12/2021 को पुलिस थाना झालरापाटन में कानि. के पद पर तैनात था। इस प्रकरण में जप्त सील्डशुदा दो पैकेट मार्क ए व बी मालखाना इन्चार्ज रामकुंवार से लेकर मय थाने के अग्रेषण पत्र रवाना होकर कार्यालय एस.पी. झालावाड पहुंचा, जहॉ से अग्रेषण पत्र बनवाकर माल एफ.एस.एल. कोटा में जमा करवाया था। रसीद क्रमांक 1835 दिनांक 31.12.2021 लाकर मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द की थी। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 17 है। एसपी का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 18 है। रसीद एफएसएल प्रदर्श पी 19 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि माल उसके पास रहने के दौरान माल या सील के साथ कोई छेडछाड की हो। यह कहना गलत है कि दोनो पैकेट उसके पास खुली अवस्था में रहे हो।

21. **पी.ड.9 गौतमचन्द** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 24.11.2021 को थाना झालरापाटन में हेड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी डी.ओ. ड्यूटी थाने पर थी। एस.आर.जी.एच. से सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचा था, जहां पर मैल सर्जिकल वार्ड में जैर इलाज भर्ती मजरूब विश्वेन्द्र सिंह के पर्चा बयान लेखबद्ध किये थे जो प्रदर्श पी 9 है। पर्चा बयान लाकर इन्चार्ज थाना राधाकिशन एसआई के समक्ष पेश किये थे, जिन्होंने नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसकी कार्यवाही पुलिस जी से एच होकर

आई से जे उसके हस्ताक्षर तथा के से एच तत्कालीन थाना इन्चार्ज राधाकिशन के हस्ताक्षर है, जिन्हे वह उनके अधीन कार्य करने से पहचानता है। प्रकरण में चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 20 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह सही है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी 9 में मजरूब के बयान देने की हालत में होने बाबत चिकित्सक की रिपोर्ट नहीं ली। यह कहना गलत है कि मजरूब बयान देने की हालत में नहीं हो। मजरूब मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती था, जिसका बेड नम्बर उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि कार्यवाही पुलिस ने मनमर्जी से मजरूब के कहने से चोटों का अंकन किया हो। यह कहना गलत है कि उसने मजरूब के घरवालों के कहने से गलत बयान लिये हो।

22. **पी.ड.10 राम कुंवार** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 29.11.2021 को थाना झालरापाटन में हेड कानि. व मालखाना इन्चार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा पर दर्ज मुकदमा सं. 386/21 में जप्तशुदा व सील्डशुदा कुल एक पैकेट मार्क ए व दिनांक 14.12.2021 को कुल दो पैकेट मार्क बी व सी अनुसंधान अधिकारी प्रितम सिंह हेड कानि. ने जमा मालखाना हेतु दिये थे, जिन्हे उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक सं. 822/21 में नियमानुसार इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। दिनांक 30.12.21 को सुरेश कानि. को कुल दो पैकेट मार्क ए व बी मय थाने के अग्रेषण पत्र के विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में जमा करवाने हेतु दिये थे, जिसने उक्त माल 31/12/21 को जमा करवाकर रसीद सुपुर्द की। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 21, सत्यप्रति प्रदर्श पी 21 ए है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि उसने माल खुली अवस्था में ही जमा किया हो।

यह कहना गलत है कि उक्त माल उसके पास रहने के दौरान माल या सील के साथ उसने कोई छेडछाड की हो।

23. **पी.ड.11 डॉ. हरिओम गौतम** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 30.12.2021 को एस.आर.जी.एच. में ई.एन.टी. विभाग में सीनियर मेडिकल आफिसर के पद पर था। उस दिन थाना झालरापाटन के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब विश्वेन्द्र सिंह का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके बाये कान पर पुरानी चोट थी, चोट का घाव पूरी तरह से ठीक था। कान पर चोट का निशान था। बाया कान पूरी तरह से स्वस्थ था व किसी प्रकार के ईलाज की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस की तहरीरी रिपोर्ट व उसकी मेडिकल राय प्रदर्श पी. 22 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि मजरूब का इससे पहले उसने मेडिकल मुआयना नहीं किया था। कोई भी व्यक्ति यदि पत्थर पर गिर जाए तो ऐसी चोटें आना सम्भव है।

24. **पी.ड.12 डॉ. शैलेन्द्र यादव** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.11.2021 को एस.आर.जी.एच. में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर था। उसदिन थाना झालरापाटन के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब विश्वेन्द्र सिंह का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर चोट नंबर एक टांका लगा हुआ चोट का घाव जिसकी लंबाई 5 सेमी और 8.5 सेमी बायें कान और उसी कान के ऊपरी हिस्से पर। चोट नंबर दो खरोच की लंबाई 8.5 सेमीx.03 सेमी बाई भुजा के मध्य भाग पर। चोट नं.3 दाए कंधे पर दर्द व सूजन एवं चोट सं.4 (खरोंच) का निशान जिसकी लंबाई 2 सेमीx.03 सेमी बाएं हाथ की अंगुली पर थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 23 है। चोट नंबर एक की एक्सरे की राय लेने के लिए रिजर्व रखी गयी। चोट नंबर दो, तीन, चार सामान्य प्रकृति की होकर कुन्द

हथियार से कारित थी। उक्त सभी चोटें 24 घण्टे के दरमियान की थी। एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 है। जिसपर ई से एफ उसकी राय व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय में चोट नंबर एक धारदार हथियार से कारित थी जो सामान्य प्रकृति की होकर साधारण प्रकृति की थी। इस गवाह से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है।

25. **पी.ड.13 महेन्द्र कुमार** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.12.2021 को थाना झालरापाटन में कानि. के पद पर था। इस प्रकरण में अभियुक्त ओम प्रकाश व घनश्याम को अनुसंधान अधिकारी ने उसके सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी. 1 व 2 गिरफ्तार किया था। मुलजिम ओम प्रकाश द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण मे उसकी निशादेही से उसके गांव बगदर में स्थित रिहायशी मकान के कमरे में रखे बक्से के नीचे रखी लोहे की एक तलवार अनुसंधान अधिकारी ने बरामद की, जिसे बतौर वजह सबूत एक कपडे की सफेद थैली में रखकर सील्ड मोहर किया तथा मार्क बी दिया। फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी 3 है, जिसकी बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 4 है। मुलजिम घनश्याम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में उसकी निशादेही से अनुसंधान अधिकारी ने गांव बगदर स्थित उक्त मुलजिम के रिहायशी मकान के कमरे में रखा एक लट्ठ बरामद किया, जिसे भी बतौर वजह सबूत कपडे की थैली में सील्ड मौहर कर मार्क सी दिया। फर्द जप्ती लाठी प्रदर्श पी 5 है, जिसकी बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह सही है कि उक्त दोनो मुलजिमान को थाना परिसर पर ही गिरफ्तार किया था, तलवार व लठ की बरामदगी पर पुलिसवालों के ही हस्ताक्षर है। यह सही है कि बरामदशुदा लकडी

अक्सर गांववाले रखते है। सादा लठ था। यह सही है कि जिस मकान से लठ व तलवार बरामद किए गए उन मकानो पर ताले लगे हुए नहीं थे, मकान खुले हुए थे। यह सही है कि जिन मकान से लठ व तलवार बरामद किए उनके पास और भी मकान है तथा आंगनबाडी व स्कूल भी पास है। जप्ती की कार्यवाही के दौरान गांव के अन्य लोग आए थे या नहीं वह नहीं बता सकता। वे कार्यवाही करने गए तब थाने में रवानगी डाली थी जब वापस थाने पर आए तो आमद दर्ज की थी रोजनामचे की रपट पत्रावली में होगी। जिस कमरे में से तलवार बरामद की वह कितना लम्बा चौडा था वह नहीं बता सकता। जिस बक्से के नीचे से तलवार बरामद की गयी वह बक्सा कितना लम्बा चौडा था यह भी नहीं बता सकता। पुलिस ने स्वतंत्र गवाह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। यह सही है कि इस प्रकार का नोट फर्द पर अंकित नहीं है। तलवार की लम्बाई चौडाई नापी होगी तो उसे पता नहीं। यह गलत है कि उसके सामने अभियुक्तगण से कोई हथियार बरामद नहीं किए गए हो। यह भी गलत है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो तथा उसने सभी फर्दो पर हस्ताक्षर हैड कानि. के कहने से थाने पर ही कर दिए हों।

26. **पी. ड.14 प्रीतम सिंह** ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 24.11.2021 को थाना झालरापाटन में हेड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन पर्चा बयान पर दर्ज हुयी एफ.आई.आर. 386/21 धारा 341, 323, 308,34 भा.द.सं. का अनुसंधान आई.सी. थाना राधाकृष्ण ने उसके जिम्मे किया था। चाक एफ.आई.आर.प्रदर्श पी 20 है। उसने गवाहान दिगपाल सिंह, जयदीप सिंह, विश्वेन्द्र सिंह, रतनलाल, रामकुंवार, सुरेश के बयान लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 बनाया था। दिनांक 14/12/2021 को मुलजिमान को थाना

परिसर से गिरफ्तार कर, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 1 व पी 2 बनायी थी। उसी दिन जैर हिरासत मुलजिम ओम प्रकाश द्वारा दी गयी स्वेच्छयापूर्वक धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि उसने विश्वेन्द्र सिंह के साथ जिस तलवार के साथ मारपीट की थी, वह तलवार उसने अपने रिहायशी मकान में छिपाकर रख रखी है, जिसे चलकर बता सकता है। सूचना प्रदर्श पी 24 है। मुलजिम घनश्याम द्वारा दी गयी स्वेच्छयापूर्वक धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि विश्वेन्द्र सिंह के साथ जिस लट्ठ से मारपीट की थी, उसने उसके मकान में बने कमरे में छिपाकर रखा है, जिसे चलकर बता सकता है। उक्त सूचना प्रदर्श पी 25 है। मुलजिम ओम प्रकाश द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में उसकी निशादेही से ग्राम बगदर में बने अपने रिहायशी मकान के कमरे में बक्से के नीचे रखी हुयी एक लोहे की तलवार बरामद करवायी, जिसे एक कपडे की थैली में रखकर बतौर वजह सबूत जप्त कर सील्ड मोहर कर मार्क बी दिया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 3 है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 4 है। उसी दिन मुलजिम घनश्याम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में उसकी निशादेही से ग्राम बगदर मे बने अपने रिहायशी मकान के कमरे में रखी हुयी एक लकडी निकालकर पेश की थी, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी दिया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 5 है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 6 है। दिनांक 29/11/2021 को वक्त घटना पहने हुये फरियादी विश्वेन्द्र सिंह की एक खून आलूदा टी शर्ट बतौर वजह सबूत जप्त कर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर पुनः कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क ए दिया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 है। मजरूब का मेडिकल

मुआयना व एक्स रे करवाया था जो शामिल पत्रावली है। मजरूब की चोटों की फोटोग्राफी करवायी थी जो शामिल पत्रावली है। फर्द फोटोग्राफ प्रदर्श पी 10 लगायत पी 13 है। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान ओम प्रकाश व घनश्याम के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 308, 34, 324 भा.द.सं. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चालान थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह ने न्यायालय में पेश किया था। चार्जशीट पर थानाधिकारी के हस्ताक्षर है जिन्हे वह उनके अधीनस्थ कार्यरत होने से पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि परिवादी ने पर्चा बयान और उनके बयानों में छोटू और लछमा का नाम भी लिखवाया था। यह सही है कि उसने उसके अनुसंधान में छोटू और लछमा को घटना में शामिल होना नहीं पाया था। यह सही है कि दोनों पक्षकारों के मध्य जो झगडा हुआ है, वह आवारा गायो को ले जाने बाबत ही हुआ था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि मुलजिमान आवारा गायो द्वारा फसलों में नुकसान ना हो, इसलिये बाडे में बंद करने ले जाते हो। यह सही है कि मुलजिमान और परिवादी पक्ष के बीच पहले से कोई झगडा नहीं था। उसने घटनास्थल का मुआयना घटना के दूसरे दिन ही कर लिया था। यह सही है कि घटनास्थल पर उसने उस समय कोई खून के निशानात नहीं देखे थे और ना हीं कोई उठाये जाने लायक भौतिक साक्ष्य देखे थे। यह सही है कि घटनास्थल के नक्शे मौके प्रदर्श पी 7 पर उसने सी स्थान पर मकान देवीलाल व ई स्थान पर कालूसिह का मकान दर्शा रखा है। यह सही है कि उसने घटनास्थल के पास जो मकान है, उनके बयान नहीं लिये थे। उसने दौराने अनुसंधान गवाह जयदीप सिंह का बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग और सी से डी भाग तथा गवाह विश्वेन्द्र सिंह का बयान प्रदर्श डी

2 जैसा गवाह ने कहा था, वैसा ही लिखा था, उसने कुछ जोडा या कम नहीं किया था। यह सही है कि धारा 27 की सूचना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह कहना गलत है कि उसे मुलजिमान ने हथियार बरामद करवाने बाबत कोई सूचना नहीं दी हो। यह कहना गलत है कि जप्ती तलवार उसे जयदीप सिंह पिता गजराज सिंह जो कि परिवादी का भाई है, उसने दी हो। यह सही है कि हथियार जप्ती के दोनो गवाहान पुलिसकर्मी ही है। यह कहना गलत है कि उसने जप्तियां थाने पर बैठकर ही बनायी हो और इसलिये उसने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखे हो। यह कहना सही है कि हथियार जप्ती वाले स्थान के पास प्राथमिक स्कूल, आंगनबाडी और नेशनल हाई-वे निकल रहा है। यह सही है कि हथियार जप्तियां दोपहर की है। यह सही है कि जप्त की गयी लकडी के समान लकडी आम तौर पर गांव वाले रखते है। यह सही है कि हथियार जप्ती के लिये रवाना होने से पूर्व थाने से उसने और दोनो गवाहान ने थाने पर रोजनामचे में रवानगी डाली थी जो पत्रावली पर मौजूद है। कार्यवाही करके वापस थाने पर करीब डोढ दो घण्टे बाद पहुंच गये थे। यह सही है कि मुलजिमान पहले से ही गिरफ्तार कर लिये गये थे, इनको भी थाने से लेकर गये थे। जप्ती वाले मकान जब पहुंचे तब खुले हुये थे, कोई ताला नहीं लगा हुआ था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण आवारा गायो को रात्रि में बंद करने के लिये लेने आये हो और विश्वेन्द्र सिंह ने जान बूझकर अभियुक्तगण से गाली गलौच की हो और तलवार लेकर मारने दोडा हो तथा उसके गिरने से उसके स्वयं के तलवार की चोट आयी हो। यह कहना गलत है कि उसने परिवादी पक्ष के साथ मिलकर अभियुक्तगण के खिलाफ झूठी कार्यवाही की हो।

27. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में मजरूब पी.ड.3 विश्वेन्द्र सिंह झाला है, जिसने अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी-09 में बताया है कि वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, गायो की बात को लेकर अभियुक्त ओमप्रकाश ने उसके साथ गाली गलौच की और फिर वह अपने घर चला गया, थोड़ी देर बाद मुलजिम ओमप्रकाश, घनश्याम गुर्जर वगैराह हाथो में तलवार और लट्ठ लेकर आए। ओमप्रकाश और घनश्याम के पास तलवार थी, ओमप्रकाश ने तलवार से उसके सिर पर मारी जिससे वह एकदम टेड़ा हो गया, जिससे उसके बाए कान के ऊपर चोट लगी, घनश्याम ने तलवार से हाथ पर मारी, जिसको उसने हाथ से पकड़ लिया। जयदीप और दिग्पाल ईलाज हेतु झालावाड़ अस्पताल उसे लेकर गए। परिवादी न्यायालय में पी.ड.3 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में पर्चा बयान की पुष्टि की है और गायो को हटाने की बात को लेकर मुलजिम ओमप्रकाश द्वारा गाली गलौच करना और बाद में घनश्याम व ओमप्रकाश द्वारा तलवार लाना उनसे मारपीट करना, जिससे कान पर चोट आना, कान कटने की पुष्टि पी.ड.3 विश्वेन्द्र सिंह अपने बयानो में करता है। तलवार की ओमप्रकाश द्वारा मारना बताता है तथा तीनों भाईयों के हाथो में तलवार होना बताता है। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि '' यह सही है कि अभियुक्तगण उक्त लावारिस गायों को ही ले जाकर बाड़े में बंद करना चाह रहे थे'' '' यह सही है कि मुलजिमान द्वारा लावारिस गायों को ले जाने की बात पर विवाद हुआ था'' '' यह सही है कि जयदीप के आने से पहले मेरे साथ झगड़ा हो चुका था'' '' यह सही है कि जयदीप के आने से पूर्व मोहल्ले वालो ने ही मेरा मुलजिमान से बीच बचाव करवा दिया था'' ''यह सही है कि जयदीप के मौके पर पहुँचने से पहले ही

मुलजिमान मौके से भाग चुके थे'' "परिवादी को उक्त सभी सुझाव जो प्रतिपरीक्षण में दिए गए है, इससे झगड़ा होने की पुष्टि, मुलजिमान की घटना स्थल पर मौजूद होने की पुष्टि, मोहल्ले वालो के घटना स्थल पर मौजूदगी की पुष्टि होती है और गायों को लेकर विवाद होने की पुष्टि होती है, जिसने अपराध के लिए एक हैतुक का काम किया। इसी तरह से पी.ड.6 दिग्पाल सिंह से भी प्रतिपरीक्षण में प्रश्न पूछे गए है जो उसी मोहल्ले का निवासी है, जहाँ झगड़ा हुआ था और उक्त गवाह ने भी प्रतिपरीक्षण में जाहिर किया है कि " यह सही है कि लावारिस गायो को लेकर खदेड़ने की बात पर विवाद हुआ था " उक्त विश्लेषण, विवेचन से प्रथम तो घटना स्थल पर परिवादी और अभियुक्त ओमप्रकाश की पुष्टि होती है। द्वितीय उक्त बयानों से अपराध कारित करने हेतु मौजूद हैतुक (Motive) की भी पुष्टि होती है। परिवादी द्वारा दिए गए पर्चा बयान और परिवादी के बयानों से यह प्रमाणित है कि पहले ओमप्रकाश ने गायों को लेकर झगड़ा किया और उसके पश्चात ओमप्रकाश अपने घर गया और वहाँ से अपने साथ अन्य परिवार के सदस्यो को तलवार सहित परिवादी के पास लेकर आया, तत्पश्चात आहत के सिर पर वार किया गया परन्तु आहत के टेड़ा हो जाने से वह उसके कान पर लगा जो कि हैड रीजन (Head Region) (कान) पर है। सिर के निचले भाग अर्थात कान के कमजोर भाग पर तलवार से वार करना नैसर्गिक रूप से खतरनाक कृत्य है, जिससे मृत्यु होने की संभावना से अभियुक्त अनभिज्ञ हो, यह नहीं माना जा सकता। चिकित्साधिकारी पी.ड.12 डॉ. शैलेन्द्र यादव के बयानों और चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-23 के अनुसार उक्त घाव 5 से.मी.X8.5 से.मी. है। घाव का उक्त आकार यह दर्शाता है कि वार पर्याप्त बल से किया गया था। यहाँ पर यदि हथियार और परिस्थितियों पर नजर डाली जाए

तो परिस्थितियां यह बताती है कि गायो को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसने अभियुक्त को एक हैतुक प्रदान किया गया, उसके बाद आरोपी अपने घर गया और घर से घर के सदस्यो के साथ तलवार लेकर वापस आया और उस तलवार से पीड़ित पर वार किया गया, तलवार नैसर्गिक रूप से घातक धारदार हथियार की परिभाषा में आता है। इस वार में प्रयुक्त बल, प्रयुक्त हथियार, हेतुक (Motive) पूर्व योजना इत्यादि तथ्य भा.द.सं. की धारा 308 के अपराध का पूर्णरूप से गठन करते है।

28. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि चिकित्साधिकारी ने उक्त चोट को सामान्य उपहति बताया है, जिससे धारा 308 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

29. न्यायालय के विन्रम मत में धारा 308 भा.द.सं. चोट के सामान्य होने से स्वतः समाप्त नहीं होती है। मुख्य प्रश्न अभियुक्त का आशय अथवा ज्ञान है। चोट की प्रकृति अपने आप में निर्णायक नहीं है बल्कि हथियार की प्रकृति, शरीर का हिस्सा, परिस्थितियां, अपराध करने का मोटीव (Motive) धारा 308 भा.द.सं. के लिए निर्णायक है। अतः मात्र इस आधार पर चिकित्साधिकारी ने चोट को सामान्य बताया है, इस आधार पर धारा 308 भा.द.सं. स्वतः निरस्त नहीं मानी जा सकती क्योकि हस्तगत मामले में प्रयुक्त हथियार, वार का स्थान तथा घटना की परिस्थिति, मोटीव (Motive) इत्यादि यह दर्शाते है कि अभियुक्त को अपने कृत्य से मृत्यु होने की संभावना का ज्ञान था। जैसा न्यायालय द्वारा उक्त विश्लेषण, विवेचन द्वारा यह पाया गया कि घाव का आकार और कान का फट जाना अपने आप में यह स्पष्ट करता है कि वार पर्याप्त बल से किया गया था, जिसकी पुष्टि ना केवल चोट प्रतिवेदन प्रपत्र बल्कि अभियोजन द्वारा पेश

फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-10 लगायत 13 से भी होती है। अभियुक्त द्वारा विवाद के पश्चात अपने घर जाकर तलवार लाना उसकी तैयारी दर्शाता है जिसके द्वारा जानलेवा/प्राणधातक हथियार के प्रयोग का निर्णय लिया गया।

30. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, की सूचना स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है, साथ ही तलवार की जो जप्ती गई है वह भी स्वतंत्र गवाहो की मौजूदगी में नहीं की गई है। उक्त गवाह पुलिसकर्मी है।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील नं.556 वर्ष 2021 निर्णय दिनांक 6 जुलाई, 2021 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक मामले में यदि जप्ती नहीं भी होती है तो भी इससे अभियोजन पक्ष प्रभावित नहीं होता है। यदि आहत चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना की पुष्टि की गई है। हस्तगत मामले में पी.ड.3 विश्वेन्द्र सिंह ने अपने बयानों में पूर्णरूप से अपने पर्चा बयान की पुष्टि की है और इसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास सामने नहीं आता हे, जिससे उसके द्वारा दिए गए बयान या पर्चा बयान पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण हो।

32. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्वतंत्र साक्षी नहीं होने के कारण जप्ती दूषित हो जाती है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विचार किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 762 मुसीर खान उर्फ बादशाह खान व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. जिसका अनुसरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2014)

12 एस.एस.सी. 419, मधु बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं (2013) 14 एस.एस.सी. 434 रोहिताश कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि जप्ती अन्य सभी प्रकार से विश्वसनीय है तो उस पर मात्र स्वतंत्र गवाह सम्पुष्टि के अभाव के आधार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

33. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, एक मात्र साक्ष्य पीड़ित की है। न्यायालय के विन्रम मत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि साक्ष्य में किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए गवाह की कोई निश्चित संख्या की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक गवाह भी विश्वसनीय हो तो भी उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा बलजिन्दरसिंह उर्फ लड्डू व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या 1389/2012 निर्णय दिनांक 25 सितम्बर, 2024 में प्रतिपादित किया है कि पीड़ित गवाह की उपस्थिति घटना स्थल पर संदिग्ध नहीं मानी जाती है, इसलिए उसके बयान को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इसी तरह से जावेद शौकत अली हुसैन कुरैशी बनाम गुजरात राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1012 वर्ष 2022 निर्णय दिनांक 13 सितम्बर, 2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दोषसिद्धि के लिए कई सारे गवाह जरूरी नहीं है, बल्कि एक विश्वसनीय साक्ष्य भी पर्याप्त है अर्थात गवाहो की संख्या नहीं बल्कि विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क घटना के समय केवल पीड़ित के बयान उपलब्ध है, स्वीकार नहीं है। इसी तरह से जहाँ

तक बरामदगी/भारतीय साक्ष्य अधनियम की सूचना का संबंध है तो हस्तगत मामले में विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो पी.ड.3 विश्वेन्द्र सिंह की साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना/बरामदगी यदि प्रमाणित भी नहीं होती है तो भी इससे अभियोजन का मामला असफल नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रामसिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2024) तथा ओमपाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 2025 में यह स्पष्ट किया गया है कि मात्र हथियार की बरामदगी नहीं होना अभियोजन के मामले को स्वतः असफल नहीं बनाता है  यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विश्वसनीय हो। जबकि हस्तगत मामले में तो तलवार की बरामदगी भी की गई है।

34. इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण और परिवादीगण के मध्य रूपए, पैसो को लेकर विवाद था और इस वजह से झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। न्यायालय के विनम्र मत में रूपए, पैसा का विवाद एक भिन्न तथ्य है। जबकि हस्तगत मामले में पीड़ित को पहुँची चोट की पुष्टि चोट प्रतिवेदन से भी होती हो तो ऐसी स्थिति में यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि झूंठा प्रकरण दर्ज करवाया गया हो, बल्कि रूपए, पैसो का विवाद अपराध के लिए एक हैतुक का भी गठन करता है और हस्तगत मामले में यह देखने में आया है कि पीड़ित के कान पर एक बड़े आकार की चोट धारदार हथियार से कारित की गई है। अतः ऐसे में इस संभावना को बल नहीं मिलता कि रूपए, पैसे की वजह से झूंठा प्रकरण दर्ज करवाया गया हो, अपितु दूसरी संभावना को बल मिलता है कि रूपए, पैसे के विवाद को लेकर एक मोटीव (Motive) उत्पन्न हुआ है। अतः उक्त विवेचन, विश्लेषण से अभियोजन द्वारा संदेह से परे यह प्रमाणित किया गया है कि

अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा आहत के हैड रीजन (Head Region) पर चोट पहुँचाई गई और जैसी साक्ष्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है उससे यह साबित होता है कि अभियुक्त ओमप्रकाश के साथ अभियुक्त घनश्याम का घटना स्थल पर तलवार लेकर पहुँचना उसका सामान्य आशय स्पष्ट करता है। अतः अभियोजन अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्व अपराध धारा 308 भा.द.सं. का आरोप एवं अभियुक्त घनश्याम के विरूद्व अपराध धारा 308/34 भा.द.सं. का आरोप साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त ओमप्रकाश को अपराध धारा **308 भा.द.सं.** एवं अभियुक्त घनश्याम को अपराध धारा **308/34** भा.द.सं. के अपराध से **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

35. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण पर अन्य अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 का भी आरोप है। परिवादी विश्वेन्द्र सिंह ने अपने द्वारा दिनांक 24.11.2021 को दर्ज करवाए गए पर्चा बयान में स्पष्ट रूप से यह अंकित करवाया है कि आज दिनांक को वह उसके घर के बाहर बैठा था। परिवादी के सशपथ बयानों का अवलोकन करने पर परिवादी पी.ड.3 अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह कथन करता है कि करीब एक साल पूर्व शाम को 6 बजे वह उसके घर के बाहर बैठा हुआ था तो वहाँ पर ओमप्रकाश गुर्जर आया वह उसके घर के बाहर बैठी गायो को हटा रहा था उसके मना करने पर गाली गलौच कर मारपीट करने लगा। परिवादी के पर्चा बयान एवं सशपथ बयान से यह दर्शित होता है कि परिवादी का अभियुक्तगण ने मारपीट करने के लिए सदोष अवरोध कारित नहीं किया। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध धारा 341 भा.द.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है। अतः

अभियुक्तगण को अपराध धारा **341 भा.द.सं.** के अपराध से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

36. अभियुक्तगण पर अपराध धारा 308 भा.द.सं. के साथ-साथ अपराध धारा 324 भा.द.सं. का भी आरोप है और दोनों में ही यह आरोप है कि सिर में तलवार मारकर उपहति कारित की गई। आहत के सिर पर उपहति कारित करने के ही दो विभिन्न आरोप अपराध धारा 308 भा.द.सं./अपराध धारा 324 भा.द.सं. लगाए गए है, जिसमें से किसी एक मे ही अभियुक्त को दोषसिद्व किया जाना पर्याप्त है। चूंकि न्यायालय द्वारा उक्त विश्लेषण, विवेचन से अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्व अपराध धारा 308 भा.द.सं. एवं अभियुक्त घनश्याम के विरूद्व अपराध धारा 308/34 भा.द.सं. प्रमाणित माना गया है। अतः तकनीकी रूप से पृथक से अपराध धारा 324 भा.द.सं. में दोषसिद्ध किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

37. जहां तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा.द.सं. के अपराध का प्रश्न है। इस संबंध में गवाह पीडित पी.ड.03 विश्वेन्द्र सिंह झाला ने साक्ष्य में यह कथन किए हैं कि उसके साथ डण्डे व लट्ठ से मारपीट की। उक्त आहत यह भी कथन करता है कि उसके शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना हुआ था। गवाह पी.ड.02 जयदीपसिंह भी मारपीट करने बाबत कथन करता है। चिकित्सकीय साक्ष्य का अवलोकन करे तो गवाह पी.ड. 12 डॉ. शैलेन्द्र यादव ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दौराने परीक्षण उसने मजरूब विश्वेन्द्र सिंह के बायी भुजा बायी छोटी अंगुली पर खरोच का निशान पाया था। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब विश्वेन्द्र सिंह के इसी घटना मे दो साधारण चोटे कारित

किया जाना सन्देह से परे साबित है जिसके लिए अभियुक्तगण **धारा 323 भा.द.सं.** के तहत दण्डनीय अपराध के **दोषी** करार दिए जाने योग्य पाये जाते है।

38. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त समस्त विश्लेषण व विवेचन से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 24.11.2021 को 17.30 बजे से 17.40 बजे के मध्य ग्राम बगदर झालरापाटन में आहत विश्वेन्द्र सिंह को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से मारपीट की, जिसमें उन्होने आहत के सिर में तलवार की इस ज्ञान के साथ मारी कि इससे आहत को ऐसी उपहति कारित हो सकती थी जिससे उसकी मृत्यु होना संभव था। अभियुक्तगण ने आहत विश्वेन्द्र सिंह के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। अतः उक्त समग्र विश्लेषण एवं विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 308 भा.द.सं. एवं अभियुक्त घनश्याम के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 308/34 भा.द.सं. एवं अपराध धारा तथा धारा 323 भा.द.सं. को प्रमाणित करने में सफल रहा है।

## <u>आदेश</u>

39. अतः अभियुक्तगण को **1-ओम प्रकाश** पुत्र रामलाल, उम्र 31 साल, निवासी बगदर, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.) को अपराध धारा 308 भा.द.सं. एवं धारा 323 भा.द.सं. एवं अभियुक्त **2. घनश्याम** पुत्र रामलाल, उम्र 36 साल, निवासी बगदर, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.) को अपराध धारा 308/34 भा.द.सं. एवं धारा 323 भा.द.सं.

के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में **दोषसिद्ध** और धारा 341, 324 भा.द.सं. में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

**(नरेन्द्र मीणा)**
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

**<u>दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई</u>**

40. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण गरीब मजदूरी पेशा होकर घर में अकेले कमाने वाले नवयुवक है। उनकी कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्तगण काफी समय से इस प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे है तथा न्यायिक अभिरक्षा में भी रहे है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाने का निवेदन किया।

41. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/मजरूब को धारदार हथियार तलवार से वार कर गंभीर चोटे कारित की गयी है, जिनके प्रति नरमी का रूख अपनाये जाने से समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

42. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया।

43. यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत साक्ष्य नहीं है, परंतु अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/मजरूब के साथ तलवार से मारपीट कर परिवादी के कान पर गंभीर चोटे कारित की गई है जो कि इस ज्ञान से कारित की गई है कि ऐसी गंभीर चोट से आहत की मृत्यु होना संभव है। अतः

अभियुक्तगण की स्थिति, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति अत्यधिक नरम रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अपितु अभियुक्तगण के विरूद्ध दण्डादेश निम्न प्रकार से पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक पाया जाता है।

**दण्डादेश**

44. अतः अभियुक्त **ओमप्रकाश** को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

| **क्र.सं.** | **दोषसिद्ध अपराध** | **दण्ड** | **अर्थदण्ड** | **अदम अदायगी अर्थदण्ड** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 भा.द.सं. | 06 माह का साधारण कारावास | 500 /-रूपए | एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास |
| 2 | 308 भा.द.सं. | 05 वर्ष का साधारण कारावास | 10,000 /-रुपये | एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास |

45. अभियुक्त **घनश्याम** को निम्नानुसार दण्डित किया जाता

| **क्र.सं.** | **दोषसिद्ध अपराध** | **दण्ड** | **अर्थदण्ड** | **अदम अदायगी अर्थदण्ड** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 भा.द.सं. | 06 माह का साधारण कारावास | 500 /-रूपए | एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास |
| 2 | 308/34 भा.द.सं. | 05 वर्ष का साधारण कारावास | 10,000 /-रुपये | एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास |

46. उक्त सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उपरोक्तानुसार उक्त अभियुक्तगण के सजा वारन्ट तैयार किए जावें। इस प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जाँच एवं विचारण के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत उनकी मूल सजा में समायोजित की जावे।

47. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने पर उक्त राशि में से **20,000 रूपए** परिवादी/आहत विश्वेन्द्र सिंह झाला को धारा 357(1)(ख) द.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत बतौर क्षतिपूर्ति अपील अवधि की समाप्ति के पश्चात अदा की जावे। शेष राशि राजकोष में जमा रहेगी।

48. प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पडी जप्तशुदा सामग्री (जो भी हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक)2018 के अनुसार/ नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा।

49. उपर्युक्त निष्कर्षानुसार मजरूब को कारित चोटों की प्रकृति के कारण उत्पन्न क्षति/हानि को दृष्टिगत रखते हुये मजरूब को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित **नहीं** पाया जाता है।

50. धारा 365 दं.प्र.सं. के अधीन हस्तगत मामले के निष्कर्ष एवं दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को प्रेषित की जावें।

51. धारा 363 दं.प्र.सं. के अनुसरण में अभियुक्तगण को उक्त निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

**(नरेन्द्र मीणा)**
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **12.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

**(नरेन्द्र मीणा)**
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

**प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

Steno Gr. I
"Authenticate document"

KHEM CHAND KASHYAP

Digitally signed by KHEM CHAND KASHYAP
Date: 2026.03.14 13:00:39 +0530

नोटः यह प्रतिलिप प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।